प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह ॥
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
विशेष न्यायाधीश आ०वस्तु अधि०
वाराणसी।

सेवा में,

श्रीमान् महानिबन्धक
माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

द्वारा,

श्रीमान् जनपद न्यायाधीश,
वाराणसी।

विषयः-उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/ 2024 दिनांकित 28-06-2024 सपतित शासनादेश संख्या-20/2024/ सा-3-76/दस/2024/301(1)/2024 दिनांकित 11-07-2024 के प्रकाश में नवीन पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना का विकल्प दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विनम्र निवेदन करना है कि राज्य सरकार उ० प्र० के शासनादेश संख्या 14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/ 2024 दिनांकित 28-06-2024 वित्त (सामान्य) अनुभाग 3, लखनऊ के माध्यम से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे सरकारी सेवक, जिनका चयन ऐसे पद के सापेक्ष हुआ हो, जिसका विज्ञापन प्रदेश की नयी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू किये जाने सम्बन्धी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च 2005 के पूर्व हो चुकी थी, के सम्बन्ध में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के सम्बन्ध में विकल्प की व्यवस्था की गयी है और विकल्प पत्र का प्रारूप उपलब्ध कराया गया।

इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पत्र संख्या-9283/VII-b-104/Admin D संक्शन, दिनांक 08-07-2024 एवम् पत्र संख्या-9691/IV-F-82(Pension)/ Admin (A) Dated July 16 2024 को भी उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विकल्प पत्र निर्धारित प्रारूप पर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को एवम् सम्बन्धित अधिकारी के ई सर्विसेज पर उपलब्ध ई- पोर्टल पर साफट कापी समय से प्रेषित किये जाने हेतु

आदेशित किया गया है।

अधोहस्ताक्षरी उ० प्र० न्यायिक सेवा वर्ष 2003 बैच का न्यायिक अधिकारी है। अधोहस्ताक्षरी की नियुक्ति उ० प्र० लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत विज्ञापन संख्या-ए-2-ई-1/2003 दिनांकित 15-11-2003 में उल्लिखित रिक्तियों के सापेक्ष हुयी है। अधोहस्ताक्षरी की पेंशन कटौती अधोहस्ताक्षरी के सेवाग्रहण करने की तिथि से अभी तक नवीन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत पेंशन कटौती (PRAN ID) संख्या 110002171760 पर की जा रही है। अतः अधोहस्ताक्षरी उ०प्र० राज्य के उपरोक्त शासनादेश के प्रकाश में पुरानी पेशन योजना आच्छादित किये जाने हेतु विकल्प प्रस्तुत कर रहा है।

प्रस्तुत पत्र के साथ विकल्प पत्र उचित प्रारूप में पूर्ण रूप से भरकर संलग्न किया जा रहा है।

अतः माननीय महोदय से सादर निवेदन है कि अधोहस्ताक्षरी का पुरानी पेंशन योजना चयन सम्बन्धी बिकल्प पत्र माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद तथा सम्वन्धित पेंशन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने की महती कृपा करें।

सादर।

दिनांक-03-10-2024 ई०

भवदीय

03/10/24

मनोज कुमार सिंह ॥
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
विशेष न्यायाधीश आ०वस्तु अधि०
वाराणसी।

संलग्नक-

1- पुरानी पेंशन योजना से
आच्छादित किये जाने हेतु विकल्प पत्र मूल रूप से।

शासनादेश संख्या- 20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 11 जुलाई, 2024 का संलग्नक-

विकल्प पत्र

1. नाम मनोज कुमार सिंह -II
2. वर्तमान पदनाम अपर जिला जज/ स्पेशल जज ई०सी०एक्ट
3. वेतनमान 1,67,920/- रुपये
4. वर्तमान विभाग का नाम जनपद-न्यायालय, वाराणसी (माननीय उच्च-न्यायालय इलाहाबाद के अधीन)
5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद (उ०प्र०)
6. विज्ञप्ति की तिथि 15-11-2003 (विज्ञापन संख्या - ए - 2/ई - 1/2003)
7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि 26/05/2006
8. योगदान की तिथि 16/06/2006
9. जन्म तिथि 18/10/1978
10. सेवानिवृत्ति की तिथि 31/10/2038

मैं मनोज कुमार सिंह -II पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री मोतीलाल शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना (✓)/~~नवीन पेंशन योजना~~ (X) में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाय।

हस्ताक्षर [signature]

नाम मनोज कुमार सिंह -II

पदनाम अपर जिला जज/ स्पेशल जज ई०सी० एक्ट

घोषणा पत्र

मैं मनोज कुमार सिंह -II पदनाम अपर जिला जज/स्पेशल जज ई०सी०एक्ट यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या-01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही हैं तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर [signature]

नाम मनोज कुमार सिंह -II

पदनाम अपर जिला जज/ स्पेशल जज ई० सी० एक्ट

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

श्री/~~श्रीमती~~ मनोज कुमार सिंह -II पदनाम अपर जिला जज/स्पेशल जज ई०सी०एक्ट को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना (✓) /~~नई पेंशन योजना~~ (X) में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in